भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1985

दिनांक 17 दिसम्बर 2025 / 26 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

केरल को आवंटित आपदा निधि

1985 श्रीमती पी. टी. उषाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान बाढ़ और आपदा से राहत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत केंन्द्र सरकार द्वारा केरल को कुल कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई इन निधियों के वर्तमान उपयोग की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या केरल सरकार द्वारा एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त सहायता के लिए प्रस्तुत किए गए कोई प्रस्ताव या दावे केंद्र सरकार के पास अनुमेदन के लिए लंबित हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1985, दिनांक 17.12.2025

प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए है। एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त सहायता के लिए केरल राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान केरल को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्लिखित हैं: (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	एसडीआरएफ के तहत आवंटन	एसडीआरएफ के तहत जारी केंद्रीय हिस्से	एनडीआरएफ के तहत जारी धनराशि
2020-21	335.20	251.20	--
2021-22	335.20	251.20	--
2022-23	352.00	264.00	--
2023-24	369.60	277.60	--
2024-25	388.00	291.20	--
2025-26	408.00	153.20	114.49 (36.32*+78.17#)
कुल	**2188.00**	**1488.40**	**114.49**

*अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए

#PDNA वायनाड में भूस्खलन के मद्देनजर - 2024

SDRF/NDRF द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि हुए नुकसान/दावे के मुआवजे के लिए।

केरल राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए ₹ 408.00 करोड़ (₹ 306.40 करोड़ केंद्रीय हिस्सा + ₹ 101.60 करोड़ राज्य हिस्सा) आवंटित किए गए हैं, जिसमें से केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 153.20 करोड़ की पहली किस्त 11.07.2025 को राज्य को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के एसडीआरएफ खाते में 1 अप्रैल, 2025 को ₹ 611.84 करोड़ की प्रारंभिक राशि उपलब्ध है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1985, दिनांक 17.12.2025

एसडीआरएफ/एनडीआरएफ योजना के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एसडीआरएफ से निकाली गई धनराशि (एनडीआरएफ से प्राप्त केंद्रीय सहायता सहित) वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाए जिनके लिए इसे जारी किया गया था, और वह केवल निर्दिष्ट व्यय मदों पर और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाय। राज्य महालेखाकार को सहायता मदों और मानदंडों के अनुसार व्यय की निगरानी करनी होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एसडीआरएफ योजना के अनुसार, हर साल एसडीआरएफ का लेखापरीक्षा करते हैं।

*****